COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (x3)

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 R-2173-II/05

श्री .... द्वारा आज दि0 .... को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

23 DEC 2005

1- शोभनाथ साहू
2- केदार साहू
दोनों पिता ददई साहू दोनों निवासी ग्राम गोंदवाली तहसील देवसर जिला - सीधी (म0प्र0)

--आवेदकगण/निग0कर्ता

बनाम

1- गौरीशंकर साहू
2- अन्जनी कुमारसाहू
दोनों पिता रामजी साहू दोनों निवासी ग्राम गोंदवाली तहसील - देवसर, जिला-सीधी म0प्र0

-- अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के राजस्व अपील प्रकरण क्र0 670/अपील/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 5.12.2005 निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :-

यह कि, मौजा स्थित ग्राम गोंदवाली तहसील देवसर जिला - सीधी (म0प्र0) के बन्दोबस्ती पुराना आराजी क्र0 598 रकबा 0.35 हे0 के अंश रकबा 0.27 हे0 भूमि आवेदकगण शालिकराम, मानिकराम पिता रामपियारे बैसवार साकिन गोंदवाली से 3000 (तीन हजार) रूपये में

क्रमश:------2

आवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2173–तीन/2005 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२०–९–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह चौहान उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 670/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक के द्वारा तहसील न्यायालय में नकल लेने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किय गया था वह नामांतरण पंजी क्रमांक 26 दिनांक 01.09.99 जिसमें दिनांक 16.03.2001 पटवारी हल्का को नकल तैयार कर देने हेतु निर्देशित किया गया था । पटवारी क्षेत्र गोदवाली नं0 40 द्वारा यह टीप लगायी गई कि नामांतरण पंजी वर्ष 1998–99 में पंजी क्रमांक 57	

दिनांक 04.07.99 तक प्रकरण दर्ज है, इसके अलावा अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है । प्रकरण क्रमाक 26 दिनांक 01.09.99 का प्रकरण का नामांरतण पंजी में अंकित नहीं है अतः नकल नहीं दी जा सकती । इससे यह स्पष्ट होता है कि नकल हेतु अनावेदक ने प्रयास किया था लेकिन नकल प्राप्त न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपील बिना नकल के प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य पर सहानुभूमिपूर्वक विचार करते हुये आदेश पारित करना चाहिये था । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 48 में स्पष्ट प्रावधान है । माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत है कि अपील को तकनीकी दृष्टि पर नहीं गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिये । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया । इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, देवसर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2002 को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य